न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 10/अ–20(3)/2017–2018

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
संभाग, नीमच ———— आवेदक
विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन———— अनावेदक

संशोधित आदेश
(पारित दिनांक 27–02–2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच द्वारा पत्र क्रमांक 65/कार्य/गंगाबावडी/2018 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा उल्लेखित किया कि गंगाबावड़ी तालाब से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करवानें के लिए ग्राम लुहारिया जाट के शासकीय सर्वे नं. 253/1/इइ–1 का उप वनमण्डलाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसे वनमणडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच द्वारा अनुपयुक्त करार देने से योजना के लिए अन्य शासकीय भूमि उपलब्ध करानें का अनुराध किया गया।

2— प्रकरण में तहसीलदार सिंगोली द्वारा विधिवत जॉच कर प्रतिवेदन दिनांक 21/2/2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आवंटन हेतु उपयुक्त पाया है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रकरण में ग्राम पंचायत रेतपुरा/फुसरिया से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभिमत/अनापत्ति चाही गई, जो प्रकरण में शामिल है,जिस अनुसार ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाना बताया गया है एवं ग्राम पंचायत रेतपुरा द्वारा भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने में असहमति दी है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण में पटवारी मोजा लुंवा/फुसरिया से रिपोर्ट मय खसरा, नक्शा सहित चाही गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्रामवार बिन्दुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है कि **ग्राम लुंवा प.ह.न.20 रेतपुरा रा.नि.वृत्त झाँतला** प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, किन्तु उनके द्वारा आपत्ति का कोई उचित आधार प्रस्तुत नही किया गया है, कि उनको उक्त भूमि वन विभाग को आवंटित करने में क्या आपत्ति है, अतएव आपत्ति चलने योग्य नही होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण में सर्वे न.वार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा, मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के सलंग्न है। प्रकरण में चारागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है, कि 2 प्रतिशत् के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चरागाह भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबधित भूमि का सर्वे न., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार हैः—

ग्राम का नाम	सर्वे न.	रकबा	मद	प्रस्तावित रकबा
लुंवा	56	5.18हे.	प्रस्तावित वन	4.11हे.
प.ह.नं. 20 रेतपुरा	167	25.21हे.	ना.का.का.	22.53हे.
रा.नि. वृत्त झांतला	168	3.39हे.	नाला	1.61हे.
	योग 03	33.78हे.		28.25हे.

ग्राम फुसरिया प.ह.न. 4 रा.नि.वृत्त सिंगोली प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

ग्रामवासियों द्वारा करीब 5 हेक्टर भूमि पर बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाना बताया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 21.824हे. में से 7.750हे. भूमि ही वन विभाग को आवंटित की जा रही है, शेष भूमि अन्य प्रयोजन के लिये शेष रहेगी। अतएव आपत्ति निरस्त की जाती है। प्रकरण में सर्वे न.वार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा,मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के सलंग्न है। प्रकरण में चरागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है कि 2 प्रतिशत् के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चारागाह भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबधित भूमि का सर्वे न., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार हैः–

ग्राम का नाम	सर्वे न.	रकबा	मद	प्रस्तावित रकबा
फुसरिया प.ह.नं. 4 रा.नि.वृत सिंगोली	1158	21.824हे.	ना.का.का.	7.750हे.
	योग 01	**21.824हे.**		**7.750हे.**

इस प्रकार तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटवारी रिपोर्ट व ग्राम पंचायत फुसरिया/रेतपुरा के अभिमत व प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली को प्रेषित किया गया।

3– अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–सिंगोली द्वारा नायब तहसीलदार सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

4– मेरे द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में पूर्व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2017 में पारित आदेशानुसार ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि जल संसाधन संभाग नीमच को हस्तांतरित की गई थी, किन्तु वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच के अनुसार उक्त भूमि उपयोगी नही होने से पुनः भूमि की मांग की गई । जिसके संबंध में गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु वनमण्डलाधिकारी नीमच, वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ एवं तहसीलदार सिंगोली द्वारा ग्राम लुंवा एवं ग्राम फुसरिया की भूमियों का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा उक्त ग्रामों की प्रश्नाधिन भूमियों को उपयुक्त पाया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी सिंगोली द्वारा भी ग्राम लुंवा प.हं.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद प्रस्तावित वन रकबा 4.11 हे. सर्वे नं. 167 मद ना.का.का. में से रकबा 22.53 हे., सर्वे नं. 168 मद नाला में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद ना.का.का. में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंगोली एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुऐ पूर्व में इस प्रकरण के आदेश दिनांक 14.11.2017 से आबंटित भूमि ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि का आबंटन निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर ग्राम लुंवा प.हं.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद "प्रस्तावित वन" रकबा 4.11 हे., सर्वे नं. 167 मद "ना.का.का." में से रकबा 22.53 हे., व सर्वे नं. 168 मद "नाला" में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद "ना.का.का." में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती हैः–

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये अनुसार करेगा।
2. भूमि पर निर्माण कार्य के पूर्व अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच से अनुमति प्राप्त करेगा ।
3. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा ।
4. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
5. यदि भूमि का बाद में नियत प्रयोजन का उपयोग नहीं रह जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के साथ राजस्व विभाग में निहित हो जावेगी और आवेदक विभाग को उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
6. शासन के प्रतिनिधि तथा कलेक्टर या उसके प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के परिपालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा । उक्त भूमि किसी शर्ते का पालन नहीं होने पर वापसी ली जा सकेगी ।
7. उक्त भूमि का उपयोग व्यवसाईक प्रयोजन हेतु नही करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
8. भूमि आगामी 30 वर्षो की स्थायी लीज पर हस्तांतरित की जा रही है, पश्चात् विभाग को लीज नवीनीकरण समय पर कराना होगा अन्यथा भूमि राजस्व विभाग में वैष्ठित हो जावेगी ।
9. आवेदक को जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया है उस पर 06 माह तक की समयावधि के अंदर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा भूमि आबंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
10. यदि शासन द्वारा भूमि के मूल्य भू–भाटक आदि के संबंध में संशोधन कर निर्देश दिये जाते है या अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो उन्हे मानने के लिए संबंधित विभाग बाध्य होगा ।
11. उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 430/आर.टी.सी./2017
नीमच, दिनांक 27–02–2018

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ ।
3– अधीक्षक भू–अभिलेख जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– नजूल अधिकारी जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5– तहसीलदार, जावद की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पूर्व में आबंटित भूमि **ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. को निरस्त कर उसके स्थान पर ग्राम लुंवा एवं ग्राम फूसरिया की भूमियों का आबंटन** राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद करना सुनिश्चित करें ।
6– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर,
जिला–नीमच,म.प्र.

28.2.2018